चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0 / 2487   दिनांक : 16.04.26

अनुस्मारक–01

अतिमहत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

विज्ञप्ति

विषय : एलएल0एम0 चतुर्थ सेमेस्टर जून–2026 के लघुशोध ग्रन्थ के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान जिनमें एलएल0एम0 पाठ्यक्रम संचालित हैं, के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक से अनुरोध है कि अपने छात्र/छात्राओं के **एलएल0एम0 अन्तिम सेमेस्टर जून–2026 के लघुशोध ग्रन्थ** नियमानुसार शीघ्रता से पूर्ण कराकर विश्वविद्यालय में समय से जमा करने हेतु सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या–गोप0/2363, दिनांक 13.03.2026 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे कि महाविद्यालय छात्र/छात्राओं से लघुशोध ग्रन्थ एकत्रित कर संयुक्त रूप से सूची सहित विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग की खिड़की संख्या–40 पर दिनांक 01.05.2026 तक जमा कराना सुनिश्चित करें परन्तु अद्यतन अधिकांश महाविद्यालय/संस्थान द्वारा **एलएल0एम0 अन्तिम सेमेस्टर जून–2026 के लघुशोध ग्रन्थ** विश्वविद्यालय में जमा नहीं किये गये हैं। विलम्ब से लघुशोध ग्रन्थ जमा करने वाले छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा एवं सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा वाह्य परीक्षकों से लघुशोध ग्रन्थों का मूल्यांकन कराया जाता है। अतः शीघ्र लघुशोध ग्रन्थ जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उक्त लघुशोध ग्रन्थों का मूल्यांकन ससमय कराया जा सके। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् जो लघुशोध ग्रन्थ जमा होंगे उन्हें गत वर्षो की भाँति विलम्ब शुल्क रूपये 1500/– (छूटी हुई प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा की भाँति) विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित इण्डियन बैंक में जमा करने के उपरान्त जमा रसीद के साथ लघुशोध ग्रन्थ जमा किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियन्त्रक को परीक्षा नियन्त्रक जी के सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता को इस निर्देश के साथ कि छात्र हित में उक्त सूचना विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त जिलों के सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)